अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2017 अनवानी श्री बलराम पारीक, पवन बजाज की दुकान के पास आदर्श कोलोनी सूरतगढ बनाम तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

22–11–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बलराम पारीक उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सूरतगढ़ व उनके प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बलराम पारीक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.08.2017 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

1. तहसील सूरतगढ के चक 1 बीजेडबल्यु, 1 बीजेडबल्यु द्वितीय, 2 बीजेडबल्यु द्वितीय, 3 बीजेडबल्यु द्वितीय, 185 आरडीए तथा 185 आरडीबी कुल छः(6) चको से सम्बन्धित निम्न सूचना वांछित है। अगर इनकी चित्र प्रति (नकल) दी जाती है तो नियमानुसार समय पर सूचना देने पर फीस/टिकटें दे दी जावेगी।
नोटः–यह सूचनांए (वांछित) रिकार्ड से संबंधित है अतः इन्हे प्रश्नात्मक सूचना नही माना जा सकता है।

वांछित सूचनाए निम्न हैः–
1. इन (6) छः चकों में जो चक सम्वत 2042 में रिकार्ड जमाबंदी में है कुल रकबा कितना–कितना है? तथा अन्तिम (वर्तमान) जमाबंदी में कितना है।
2. जो चक 2042 में नही है वे चक कब प्रभाव में आए किस अधिकारी के आदेशांक व दिनांक से तथा इनकी तैयार शुदा प्रथम जमाबंदी में रकबा कितना–कितना दर्ज है? सम्वत सहित ? सूचना देवें।
3. इन (6) छः चको में से कौन कौन से चक सम्वत 2042 के बाद विलुप्त (प्रभाव में नही रहे है) हुए है? विलुप्त किये जाने/करने वाले अधिकारी का पद आदेशांक एवंम दिनांक कारण सहित।
4. सम्वत् 2042 के बाद नए बनाए चक किस–किस ग्रांम पंचायत में (नई पुनर्गठन पंचायत प्रस्तावो के अनुसार) जोडे गए है अगर नही जोडे गये है तो कारण तथा जोडे गए है अगर नही जोडे गये है तो धारण तथा जोडे गये है तो प्रस्ताव से सम्बन्धित सूचना अथवा प्रमाणित प्रति।
5. इन में से जो चक विलुप्त हुए है क्या इन चको के नए चक बनाए जाने से सम्बन्धित आदेश (Notification) LR Act की धारा 106–07 जारी हुआ है? हां तो प्रति उपलब्ध अथवा गजट. दिनांक से अवगत कराये अगर अधिसूचना जारी नही है तो विलुप्त से सम्बन्धित आदेश जारी करने वाले अधिकारी का पद आदेशां एवंम दिनांक से अवगत करवाने की कृपा करे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अपीलार्थी के इस अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ से पत्र संख्या 1982 दिनांक 06.11.2017 से प्रतिवेदन मय रिकार्ड चाहा गया था जो उनके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है और न ही वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि सुनवाई के लिए उपस्थित आएं है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं कॉम्मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम की अपीलों में जबाब एवं रिकार्ड निर्धारित तिथि पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। उन्हें यह भी निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का आदेश प्राप्ति से 15 दिवस के भीतर अपीलार्थी को नियमानुसार अवलोकन करवाया जावे। उपलब्ध रिकार्ड में से अपीलार्थी जो सूचना प्राप्त करना चाहे, वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2083-84
06/12/17

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर